5700/2018 Lease

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

TREASURY OFFICE BAGHPAT

26 OCT 2018

Rs.5000

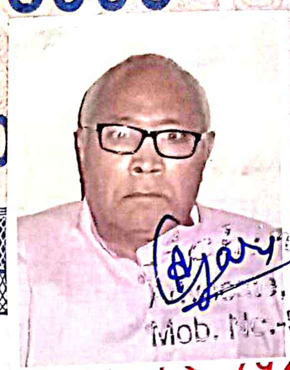

Achin Garg
Advocate, Baghpat
Mob. No.-9412836781

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CS 793287

फोटो प्रमाणित द्वारा : अचिन गर्ग एडवोकेट, बागपत

किरायानामा/पट्टानामा बमुद्दत 30 वर्ष

ऑनलाईन आवेदन क्रमांक : 201800736007409

प्रतिवर्ष किराया – 20,000/–रू0

स्टाम्प अंकन – 5000/–रू0 किता – 1 व 6 सादे पेपर

सम्पत्ति स्थित : नगरीय क्षेत्र मौजा बागपत बांगर, बाहर सीमा नगर पालिका परिषद, बागपत परगना व तहसील व जनपद बागपत ।

क्रम संख्या 1727 स्टाम्प विक्रय की तिथि— 27-1-018
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन—
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता— गोल्डन गेट एजुकेशनल ट्रस्ट बागपत
स्टाम्प की धनराशि— 5000/-

(सचिन गुप्ता स्टाम्प विक्रेता)
लाइसेंस संख्या-41/[illegible]
लाइसेंस की अवधि 31-03-2019
विक्रय का स्थान—रजिस्ट्री कम्पाउण्ड, बागपत

Garg
Baghpat
9412836781

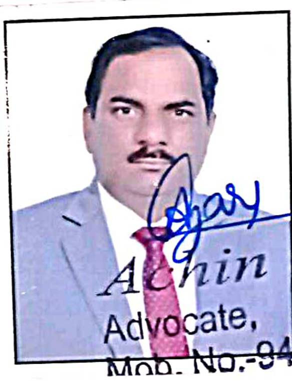

Achin Garg
Advocate, Baghpat
Mob. No.-9412836781

हम कि सुधीर कुमार पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम मवींकला तहसील खेकडा जिला बागपत (आधार नं0 : 9474 2198 5862 पेन नं0 : CBWPS9347H मो0 नं0 : 9719623564) एवं विकास कुमार पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम मवींकला तहसील खेकडा जिला बागपत (आधार नं0 : 9237 0379 8747 पेन नं0 : BHQPA0354M मो0 नं0 : 7253925425) एवं अनुज पुत्र श्री रामकुमार निवासी ग्राम रतनगढ तहसील व जिला बागपत (आधार नं0 : 6889 4873 5319 पेन नं0 : CYXPA0892F मो0 नं0 : 893236624) एवं यशवीर सिंह चौहान पुत्र श्री कालूराम चौहान निवासी मौहल्ला देशराज, पुराना कस्बा बागपत (आधार नं0 : 2059 6954 4932 मो0 नं0 : 9412101640) एवं कालूराम चौहान पुत्र श्री कर्मसिंह चौहान निवासी मौहल्ला देशराज, पुराना कस्बा बागपत (पेन नं0 : CEFPR7250J मो0 नं0 : 7536019383)

पट्टा अनुबंध विलेख

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 5000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 2400 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 2480

श्री गोल्डन गेट एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा
सुधीर कुमार अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री रामसिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: ग्राम मवींकला तह0 खेकडा जिला बागपत

श्री, गोल्डन गेट एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा

सुधीर कुमार अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 27/10/2018 एवं 03:05:57 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुगम किशोर प्रभारी उपनिबन्धक बागपत सदर
उप निबंधक :सदर
बागपत
27/10/2018

सुगम किशोर .
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

एवं गीता चौहान पत्नी श्री यशवीर सिंह चौहान निवासी चौहान एन्कलेव, बडौत रोड, बागपत तहसील व जिला बागपत (पेन नं0 : AMNPC3940 मो0 नं0 : 9412101640) (सम्पत्ति स्वामी) – पट्टादाता हैं । जो कि हम मौजा बागपत बांगर बाहर सीमा नगर पालिका परिषद, बागपत परगना व तहसील व जनपद बागपत में स्थित भूमि खसरा नम्बरान 1281, 1267, 1260 व 1281 (जो आपस में मिले हुए हैं) के संयुक्त रकबे में स्थित एक प्लाट जिसका क्षेत्रफल 17037.50 वर्गमीटर है, के मालिक व काबिज हैं । उक्त खसरा नम्बरान में से हमारी उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि क्षेत्रफल 17037.5 वर्गमीटर को वाद सं0 टी201811080101770 अंतर्गत धारा 80 यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 06–08–2018 के द्वारा अकृषि भूमि घोषित किया जा चुका है । अब हमने उक्त खसरा नम्बरान में स्थित अपना

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1

श्री सुधीर कुमार, पुत्र श्री रामसिंह

निवासी: ग्राम मवींकलां तहसील खेकडा जिला बागपत

व्यवसाय: अन्य

पट्टा दाता: 2

श्री विकास, पुत्र श्री रामसिंह

निवासी: ग्राम मवींकला तहसील खेकडा जिला बागपत

व्यवसाय: अन्य

पट्टा दाता: 3

श्री अनुज, पुत्र श्री रामकुमार

निवासी: ग्राम रतनगढ तहसील व जिला बागपत

व्यवसाय: अन्य

पट्टा दाता: 4

श्री यशवीर सिंह चौहान, पुत्र श्री कालूराम चौहान

निवासी: मौहल्ला देशराज, पुराना कस्बा बागपत जिला बागपत

व्यवसाय: अन्य

पट्टा दाता: 5

श्री कालूराम चौहान, पुत्र श्री कर्मसिंह चौहान

निवासी: मौहल्ला देशराज,पुराना कस्बा बागपत जिला बागपत

व्यवसाय: अन्य

पट्टा दाता: 6

श्रीमती गीता चौहान, पत्नी श्री यशवीर सिंह चौहान

निवासी: चौहान एन्कलेव, बड़ौत रोड, बागपत. जिला बागपत

व्यवसाय: गृहिणी

पट्टा गृहीता: 1

उक्त वर्णित सम्पूर्ण प्लाट क्षेत्रफल 17037.50 वर्गमीटर को, गोल्डन गेट एजुकेशनल ट्रस्ट, दिल्ली–सहारनपुर रोड, निकट रीवर पार्क, बागपत तहसील व जिला बागपत द्वारा अध्यक्ष–सुधीर कुमार पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम मवींकला तहसील खेकडा जिला बागपत (आधार नं0 : 9474 2198 5862 पेन नं0 : CBWPS9347H मो0 नं0 : 9719623564) –पट्टा ग्राहिता / किरायेदार हैं, को अंकन 20,000 / –बीस हजार रूपये वार्षिक किराये पर 30 वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 01–11–2018 से 31–10–2048 ई0 तक के लिये वास्ते चलाने शैक्षिक संस्था गोल्डन गेट इन्टरनेशनल स्कूल, बागपत जिला बागपत को पट्टे पर निम्न शर्तो पर दे दिया है :–

1. यह कि सम्पत्ति उपरोक्त का प्रयोग केवल शिक्षा संस्था चलाने के लिए ही किया जायेगा। अन्य किसी कार्य के लिए नहीं होगा और न ही किसी भी दशा में सम्पत्ति उपरोक्त को किसी अन्य को पट्टे अथवा किराये पर ही दिया जायेगा ।

2. यह कि सम्पत्ति उपरोक्त का पट्टे का किराया सालाना रूप में पट्टा ग्राहिता द्वारा अदा कर रसीद प्राप्त कर ली जायेगी । बिना टिकिट चस्पा रसीद प्राप्ति के कोई भी अदायगी किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगी ।

श्री गोल्डन गेट एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा सुधीर कुमार, पुत्र श्री रामसिंह

निवासी: ग्राम मवींकला तह0 खेकडा जिला बागपत

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री सुमित कुमार, पुत्र श्री कालूराम

निवासी: पुराना कस्बा बागपत जिला बागपत

व्यवसाय: अन्य Sumit

पहचानकर्ता : 2

श्री सन्दीप, पुत्र श्री श्रीनिवास

निवासी: पुराना कस्बा बागपत जिला बागपत

व्यवसाय: अन्य

सन्दीप

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

सुगम किशोर प्रभारी उप निबन्धक बागपत सदर
उप निबंधक : सदर
बागपत

सुगम किशोर
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

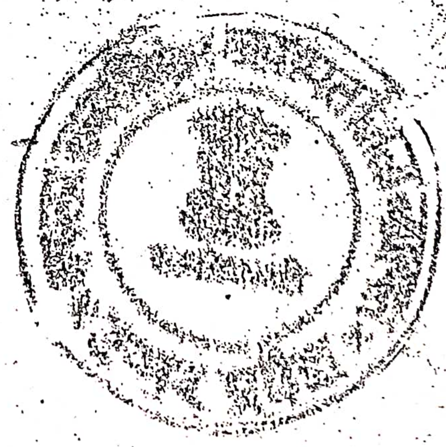

3. यह कि सम्पत्ति उपरोक्त में बनाये जाने वाले भवन की रंगाई पुताई यानि हर किस्म की देखरेख की समस्त व्यवस्था की जिम्मेदारी पट्टाग्राहिता की होगी ।

4. यह कि उक्त वर्णित प्लाट में पट्टाग्राहिता द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार यदि किसी प्रकार का कोई निर्माण किया जाता है, तो उसका सम्पूर्ण व्यय पट्टाग्राहिता स्वयं वहन करेगा, जिसमें मुझ पट्टादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

5. यह कि इस प्लाट/भूमि में पट्टाग्राहिता को स्कूल भवन का निर्माण करके स्कूल चलाना है । इस प्रयोजन हेतु पट्टाग्राहिता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण ले सकता है, और इस भूमि को बैंक में बंधक रख सकता है तथा संस्था को चलाने हेतु सम्बन्धित विभाग से परमिशन भी ले सकता है ।

6. यह कि उक्त प्लाट/भूमि में कोई भी कार्य किया जायेगा, उसकी जिम्मेदारी पट्टाग्राहिता की होगी ।

7. यह कि उक्त प्लाट/भूमि में अन्य किसी भी कर की अदायगी पट्टाग्राहिता द्वारा की होगी ।

8. यह कि उक्त प्लाट/भूमि में बिजली व जल के बिलों की अदायगी पट्टाग्राहिता द्वारा ही की जायेगी ।

9. यह कि उक्त पट्टे की अवधि समाप्त होने पर पट्टाग्राहिता द्वारा उक्त प्लाट/भूमि को सभी तरह के ऋण अथवा भारों से मुक्त कराना होगा ।

10. यह कि अगर पट्टा ग्राहिता उपरोक्त किसी भीशर्त का उल्लंघन करता है, तो सम्पत्ति स्वामी को पूर्ण अधिकार होगा कि वह नियत अवधि पूर्ण होने से पहले ही वाजिब किया वसूल कर पट्टाग्राहिता को सम्पत्ति उपरोक्त से बेदखल कर दे, जिसमें पट्टाग्राहितका को किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं होगा ।

अतः यह लेख पट्टानामा स्वस्थ चित्त व स्थिर बुद्धि की अवस्था में प्रसन्नतापूर्वक बिना किसी दबाव के अपनी इच्छानुसार बमुद्दत 30 वर्ष के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे । जिसकी पाबन्दी सम्पत्ति स्वामी व पट्टाग्राहिता पर व उनके वारिसानों पर भी लागू रहेगी ।

लेख तिथि : 27–10–2018 ई0

Sumit.

साक्षी– सुमित कुमार पुत्र कालूराम
पता– पुराना कस्बा बागपत जिला बागपत

साक्षी– सन्दीप पुत्र श्रीनिवास
पता– पुराना कस्बा बागपत जिला बागपत सन्दीप

यह लेख किरायानामा/पट्टानामा अचिन गर्ग एडवोकेट, बागपत के कार्यालय में मसौदा तैयार कर टाईप कराया गया ।

Drafted by
27/10/2018

Achin Garg
Advocate, Baghpat
Mob. No.-9412836781

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 6527 के पृष्ठ 311 से 332 तक क्रमांक 5700 पर दिनाँक 27/10/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुगम किशोर प्रभारी उप निबन्धक बागपत सदर
उप निबंधक : सदर
बागपत
27/10/2018